मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-1

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2009 (फाल्गुन 25, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम" का समूह-गान सम्पन्न हुआ।

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन, भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य श्री लक्खीराम अग्रवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी तथा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री नरेश चन्द्र जौहरी, के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री रामलखन सिंह, श्री लक्ष्मण तिवारी तथा श्री पारस दादा सकलेचा सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.52 बजे स्थगित होकर 10.59 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 87 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद के इटारसी स्थित पुलिस कालोनी में पानी की किल्लत होने,
(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त किये जाने,
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड अस्पताल के डाक्टरों द्वारा गलत परीक्षण किये जाने,
(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के शासकीय चिकित्सालय में बिजली के बोर्ड खुले होने,
(5) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने रतलाम स्थित तालाब का पानी प्रदूषित होने,
(6) डॉ.गोविन्द सिंह,सदस्य ने अम्बाह (मुरैना) में मोटरसायकिल सवार को गोली मारकर घायल करने तथा
(7) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य ने प्रदेश के वनवासी गोंद संग्राहकों का आर्थिक शोषण होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2009 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्य पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्य	निर्धारित समय
1	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009)	30 मिनट
2.	वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा	2 घन्टे
3.	वर्ष 2008-2009 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा	2 घन्टे
4.	प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा	1 घन्टा 30 मिनट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सभा की दिनांक 19 मार्च तथा 20 मार्च 2009 की बैठकें न रखी जाएं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि त्रयोदश विधानसभा के विगत सत्रों में पारित 4 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अतः निम्नलिखित अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) -
(अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2009),

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) -
(अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2009),

(3) राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) -
(अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2009),

(4) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) -
(अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2009),

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा कृषकों का शोषण किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

(2) सर्वश्री आरिफ अकील, विश्वास सारंग, उमाशंकर गुप्ता तथा ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल शहर में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री आरिफ अकील सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

8. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(2) श्री सरताज सिंह
(3) श्री केदारनाथ शुक्ला
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

मध्यान्ह 12.11 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2009 (फाल्गुन 26, 1930) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.